फा. सं.11012/10/2016-स्था.क-III
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-III डेस्क

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 8 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के अंतर्गत पदों का वर्गीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के अंतर्गत सिविल पदों के वर्गीकरण के संबंध में इस विभाग के दिनांक 9.11.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. एस.ओ. 3578 (अ) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। इस आदेश के अनुसार, भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों को छोड़कर संघ के अधीन सभी सिविल पदों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता हैः-

क्र.सं.	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 से 18 के वेतनमान वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद	समूह क
2.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 से 9 के वेतनमान वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद	समूह ख
3.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 से 5 के वेतनमान वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद	समूह ग

2. कुछ मंत्रालयों/विभागों में ऐसे पद हो सकते हैं जिन्हें इस विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार वर्गीकृत न किया गया हो। यदि, किसी विशेष कारण से कोई मंत्रालय/विभाग पदों को भिन्न प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रस्ताव करता है, तो इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने के तीन महीने के भीतर उस विभाग को ऐसे प्रस्ताव के समर्थन में पूर्ण औचित्य देते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को एक विशेष प्रस्ताव भेजना होगा ताकि दिनांक 09.11.2017 के सांविधिक आदेश 3578 (अ) (प्रति संलग्न) में निर्धारित वर्गीकरण के मानकों के अपवाद को अधिसूचित किया जा सके।

नितिन

(नितिन गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23040264

सेवा में,
सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत सभी संबद्ध कार्यालय।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
12. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
13. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
14. अपर महानिदेशक (एम एवं सी), पत्र सूचना कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।
15. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
16. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली [उक्त को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचनाएं- का.ज्ञा. एवं आदेश- स्थापना- सीसीएस (सीसीए नियमावली) एवं नया क्या है शीर्ष के अंतर्गत अपलोड करने हेतु]

(नितिन गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23040264